

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF JAL SHAKTI
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION
RAJYA SABHA

STARRED QUESTION NO. *64

ANSWERED ON 29.07.2024

DEPLETING GROUNDWATER LEVEL IN PUNJAB

***64. SHRI VIKRAMJIT SINGH SAHNEY**

Will the Minister of JAL SHAKTI be pleased to state:

- (a) the status of available groundwater level as of 2024, State-wise;
- (b) whether it is a fact that Punjab's groundwater utilization stands at 163.76 per cent;
- (c) if so, whether Government has taken any steps to combat depleting groundwater in Punjab;
- (d) the number of districts in Punjab where groundwater utilization has crossed 100 percent;
- (e) whether Government is taking any steps to reduce dependence on groundwater and restore the water table; and
- (f) the expected number of people to be affected by groundwater depletion in major cities?

ANSWER

THE MINISTER OF JAL SHAKTI

(SHRI C R PAATIL)

(a) to (f) : A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (f) OF STARRED QUESTION NO. *64 TO BE ANSWERED ON 29.07.2024 IN RAJYA SABHA REGARDING “DEPLETING GROUNDWATER LEVEL IN PUNJAB”.

(a) Central Ground Water Board (CGWB) is periodically monitoring the ground water levels throughout the country on a regional scale, through a network of monitoring wells. State wise details of groundwater level in the country for the month of January 2024 is given in **Annexure-I**. The perusal of data shows that about 84.29% of the wells monitored across the country have recorded water levels within the range of 10mbgl(meters below ground level) indicating ease of access to ground water.

(b) As per the latest Assessment, Stage of Ground Water Extraction (SoE), for the state of Punjab stands at 163.76%.

(c) to (e) As per the latest Assessment, there are 18 districts in Punjab where the Stage of Extraction has crossed 100%.

Water being a State subject, sustainable development and management of groundwater resources is primarily the responsibility of the State Government. However, the Central Government facilitates the efforts of the State Governments, including Punjab, by way of technical and financial assistance through its various schemes and projects. In this direction, the important steps taken by the Ministry of Jal Shakti and other Central Ministries to combat ground water depletion and to reduce the dependence of ground water with a view to restore the water table in the State of Punjab are given below:-

- i. National Aquifer Mapping (NAQUIM) Studies have been carried out in State of Punjab by CGWB for an area of 50,369 Sq km. Based on NAQUIM studies, groundwater management plans have been prepared and reports have been shared with State and District Authorities for suitable ground water recharge interventions.
- ii. Master Plan for Artificial Recharge to Groundwater- 2020 has been prepared by CGWB in consultation with States/UTs which is a macro level plan indicating various structures for the different terrain conditions of the country including estimated cost. Master plan for the state of Punjab which envisages construction of about 11 Lakh Rain water harvesting and artificial recharge structures to harness about 1200 Million Cubic Meter (MCM) of rain-water has been shared with State Government which is devising an action plan for its suitable implementation in priority areas.
- iii. The Government is implementing Jal Shakti Abhiyan (JSA) in the country since 2019 in which special emphasis is being given for rainwater harvesting / groundwater recharge. Currently, JSA 2024 is being implemented in all the districts of Punjab with special focus on 10 water stressed districts. Various ground water recharge and conservation related works are being taken up under the Jal Shakti Abhiyan in convergence with various Central and State schemes.
- iv. Ministry of Housing & Urban Affairs is currently implementing Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) 2.0 Scheme under which Rejuvenation of water bodies and wells in urban areas is one of the main components.

- v. Department of Agriculture & Farmers' Welfare (DA & FW), GoI, is implementing Per Drop More Crop Scheme in the country since 2015-16, which focuses on enhancing water use efficiency at farm level through Micro Irrigation and better on-farm water management practices to optimize the use of available water resources.
- vi. MoJS is promoting conjunctive use of surface water and groundwater and to reduce over-dependence on groundwater, surface water based Major and Medium irrigation projects have been taken up in the country under PMKSY-AIBP scheme in collaboration with States/UTs.
- vii. A number of Public interaction programmes have been organized in various parts of the country, including in Punjab, to promote awareness on the importance of participatory groundwater management and to reduce the dependence on groundwater.
- viii. MoJS has also issued advisories to States/UTs to review their free/subsidized electricity policy to farmers, bring suitable water pricing policy and to work further towards crop rotation/diversification/other initiatives to reduce over-dependence on groundwater. Accordingly, Department of Agriculture, Punjab is pursuing to diversify the acreage under paddy to other less water consuming crops like maize, oilseeds etc. by extending incentives to farmers.
- ix. The Punjab Water Resources Regulation and Development Authority (PWRDA) has been established under section 3 of Punjab Water Resources (Management and Regulation) Act, 2020 to ensure conservation, management and regulation of water resources in the State
- x. In addition to the above, the Government of India has taken several other significant initiatives for the improvement of groundwater situation in the country, including in the state of Punjab, which can be seen through link below-

<https://jalshakti-dowr.gov.in/document/steps-taken-by-the-central-government-to-control-water-depletion-and-promote-rain-water-harvesting-conservation/>

(f) Depletion or scarcity of ground water affects the society as a whole and the people at various social strata are affected in different degrees which depends upon time and region. However, it is possible to mitigate the adverse effects of ground water depletion by increasing the availability of ground water on one hand and by promoting the water use efficiency and enhanced surface water utilization on the other.

ANNEXURE

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. *64 TO BE ANSWERED ON 29.07.2024 REGARDING “DEPLETING GROUNDWATER LEVEL IN PUNJAB”

**State-wise Depth to Water Level Distribution of Percentage of Observation Wells
for the January 2024**

SN	State/ UT Name	No of well analysed	No./Percentage of Wells Showing Depth to Water Level (mbgl) in the Range of											
			0 to 2		2 to 5		5 to 10		10 to 20		20 to 40		> 40	
			No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
1	Andhra Pradesh	812	114	14.0	403	49.6	205	25.2	59	7.3	21	2.6	10	1.2
2	Arunachal Pradesh	29	5	17.2	17	58.6	5	17.2	2	6.9	0	0.0	0	0.0
3	Assam	363	92	25.3	205	56.5	52	14.3	9	2.5	4	1.1	1	0.3
4	Bihar	673	38	5.6	392	58.2	229	34.0	14	2.1	0	0.0	0	0.0
5	Chhattisgarh	1052	72	6.8	557	52.9	371	35.3	47	4.5	4	0.4	1	0.1
6	Goa	80	3	3.8	37	46.3	30	37.5	10	12.5	0	0.0	0	0.0
7	Gujarat	826	88	10.7	276	33.4	288	34.9	142	17.2	28	3.4	4	0.5
8	Haryana	229	26	11.4	62	27.1	35	15.3	62	27.1	34	14.8	10	4.4
9	Himachal Pradesh	158	24	15.2	51	32.3	31	19.6	34	21.5	13	8.2	5	3.2
10	Jharkhand	450	18	4.0	192	42.7	222	49.3	18	4.0	0	0.0	0	0.0
11	Karnataka	1298	65	5.0	435	33.5	578	44.5	209	16.1	5	0.4	6	0.5
12	Kerala	1316	193	14.7	414	31.5	520	39.5	172	13.1	15	1.1	2	0.2
13	Madhya Pradesh	1472	109	7.4	505	34.3	636	43.2	199	13.5	16	1.1	7	0.5
14	Maharashtra	1943	202	10.4	793	40.8	695	35.8	222	11.4	26	1.3	5	0.3
15	Manipur	4	2	50.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
16	Meghalaya	66	27	40.9	35	53.0	4	6.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
17	Mizoram	2	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
18	Nagaland	95	20	21.1	42	44.2	22	23.2	10	10.5	1	1.1	0	0.0
19	Odisha	1376	222	16.1	859	62.4	286	20.8	9	0.7	0	0.0	0	0.0
20	Punjab	210	15	7.1	44	21.0	36	17.1	49	23.3	53	25.2	13	6.2
21	Rajasthan	1103	22	2.0	178	16.1	212	19.2	231	20.9	195	17.7	265	24.0
22	Tamil Nadu	772	248	32.1	300	38.9	172	22.3	47	6.1	4	0.5	1	0.1
23	Telangana	302	19	6.3	140	46.4	122	40.4	20	6.6	1	0.3	0	0.0
24	Tripura	96	24	25.0	56	58.3	15	15.6	1	1.0	0	0.0	0	0.0
25	Uttar Pradesh	1090	80	7.3	496	45.5	334	30.6	146	13.4	30	2.8	4	0.4
26	Uttarakhand	176	11	6.3	50	28.4	36	20.5	35	19.9	30	17.0	14	8.0
27	West Bengal	749	149	19.9	420	56.1	158	21.1	19	2.5	3	0.4	0	0.0
28	Chandigarh	9	0	0.0	4	44.4	2	22.2	1	11.1	2	22.2	0	0.0
29	The Dadra And Nagar Haveli And Daman And Diu	36	1	2.8	19	52.8	16	44.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30	Delhi	107	4	3.7	28	26.2	38	35.5	18	16.8	11	10.3	8	7.5
31	Jammu and Kashmir	303	58	19.1	126	41.6	53	17.5	33	10.9	24	7.9	9	3.0
32	Puducherry	9	7	77.8	1	11.1	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	17206	1959	11.4	7140	41.5	5404	31.4	1818	10.6	520	3.0	365	2.1

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 64
जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2024 को दिया जाना है।

.....

पंजाब में भू-जल का घटता स्तर

64. श्री विक्रमजीत सिंह साहनी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2024 की स्थिति के अनुसार, उपलब्ध भू-जल के स्तर की राज्य-वार स्थिति क्या है;
- (ख) क्या यह सच है कि पंजाब में भू-जल का उपयोग 163.76 प्रतिशत होता है;
- (ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने पंजाब में गिरते भू-जल की स्थिति से निपटने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
- (घ) पंजाब के कितने जिलों में भू-जल का उपयोग शत-प्रतिशत से अधिक हो गया है;
- (ङ) क्या सरकार भू-जल पर निर्भरता कम करने और भू-जल के स्तर को पुनः बढ़ाने के लिए कोई कदम उठा रही है; और
- (च) प्रमुख शहरों में भू-जल में कमी से कितने लोगों के प्रभावित होने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री (श्री सी.आर.पाटिल)

(ग) से (ङ.) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"पंजाब में भू-जल का घटता स्तर" के संबंध में दिनांक 29.07.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *64 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा मॉनिटरिंग कुओं के नेटवर्क के माध्यम से संपूर्ण देश में क्षेत्रीय स्तर पर भूजल स्तर की आवधिक रूप से निगरानी की जा रही है। जनवरी 2024 माह में, देश के भूजल स्तर का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक -I** में दिया गया है। आंकड़ों के अवलोकन से पता चलता है कि देश भर में निगरानी किए गए लगभग 84.29% कुओं में जल स्तर 10 एमबीजीएल (मीटर भूमि स्तर से नीचे) की सीमा में दर्ज किया गया है, जो कि भूजल की सुलभ उपलब्धता की ओर इशारा करता है।

(ख): नवीनतम आकलन के अनुसार, पंजाब राज्य में भूजल निष्कर्षण की स्थिति (एसओई) 163.76% है।

(ग), (घ) और (ङ): नवीनतम आकलन के अनुसार, पंजाब में 18 ऐसे जिले हैं जहां निष्कर्षण की स्थिति 100% की सीमा पार कर गई है।

जल राज्य का विषय होने के कारण भूजल संसाधनों का स्थायी विकास और प्रबंधन करने का कार्य प्रमुख रूप से संबंधित राज्य सरकार का दायित्व होता है। हालांकि, केन्द्र सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से पंजाब सहित राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए के उनके प्रयासों में सहायता करती है। इस दिशा में, पंजाब राज्य में जल स्तर को बहाल करने की दृष्टि से जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा भूजल के गिरते स्तर से निपटने और भूजल पर निर्भरता को कम करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम नीचे दर्शाए गए हैं:-

- i. पंजाब राज्य में, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा 50,369 वर्ग किमी के क्षेत्रफल में राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण संबंधी अध्ययन (एनएक्यूआईएस) किए गए हैं। एनएक्यूआईएम अध्ययनों के आधार पर भूजल प्रबंधन योजनाएं तैयार की गई हैं और रिपोर्टों को उपयुक्त भूजल पुनर्भरण कार्यक्रमों के लिए राज्य और जिला प्राधिकरणों के साथ साझा किया गया है।
- ii. केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से एक भूजल कृत्रिम पुनर्भरण मास्टर प्लान- 2020 तैयार किया गया है जो एक मैक्रो स्तर का प्लान है जिसमें देश के विभिन्न इलाके की परिस्थितियों में बनाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं को अनुमानित लागत सहित दर्शाया गया है। इस मास्टर प्लान में पंजाब राज्य के लिए लगभग 1200 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) वर्षा जल उपयोग हेतु लगभग 11 लाख वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है और उसे राज्य सरकार के साथ साझा किया गया है जो प्राथमिक क्षेत्रों में इसके उपयुक्त कार्यान्वयन की एक कार्य योजना तैयार कर रहा है।
- iii. सरकार वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान कार्यान्वित कर रही है जिसमें वर्षा जल संचयन/भूजल पुनर्भरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस समय, जल शक्ति अभियान-2024 पंजाब के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें जल की कमी वाले 10 जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत विभिन्न केंद्रीय

और राज्य योजनाओं को एक साथ लाते हुए विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।

- iv. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, इस समय अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 को कार्यान्वित कर रहा है जिसके मुख्य घटकों में से एक शहरी क्षेत्रों में जल निकायों और कुओं के पुनरुद्धार का कार्य है।
- v. कृषि और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, वर्ष 2015-16 से देश में प्रति बूंद अधिक फसल योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जो उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग में सुधार लाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई और बेहतर ऑन-फार्म जल प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से कृषि में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है।
- vi. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से सतही जल और भूजल के मिलजुल उपयोग को बढ़ावा दे रहा है और भूजल पर निर्भरता को कम करने के लिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) योजना के अंतर्गत, देश में सतही जल आधारित वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं आरंभ की गई हैं।
- vii. पंजाब सहित देश के विभिन्न हिस्सों में भागीदारी आधारित भूजल प्रबंधन के महत्व पर जन जागरूकता बढ़ाने और भूजल पर निर्भरता कम करने के लिए कई सार्वजनिक संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
- viii. जल शक्ति मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा किसानों को दी जाने वाली मुफ्त/रियायती बिजली नीति की समीक्षा करने, उपयुक्त जल मूल्य निर्धारण नीति लाने और भूजल की अत्याधिक निर्भरता को कम करने के लिए फसल रोटेशन/विविधीकरण/अन्य पहल करने की दिशा में आगे काम करने की एडवाइजरी भी जारी की है। तदनुसार, कृषि विभाग, पंजाब ने किसानों को प्रोत्साहन देते हुए धान के रकबे को कम पानी की खपत वाली अन्य फसलों जैसे मक्का, तिलहन आदि में तबदील करके विविधता लाने का प्रयास किया जा रहा है।
- ix. पंजाब जल संसाधन (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2020 की धारा 3 के अंतर्गत पंजाब जल संसाधन विनियमन और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है जो राज्य में जल संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और विनियमन को सुनिश्चित करने से जुड़ा अधिनियम है।
- x. उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार ने पंजाब राज्य सहित देश में भूजल की स्थिति में सुधार के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण पहलें की हैं, जिन्हें नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है:- <https://jalshakti-dowr.gov.in/document/steps-taken-by-the-central-government-to-control-water-depletion-and-promote-rain-water-harvesting-conservation/>

(च): भूजल की कमी या इसका गिरता स्तर पूरे समाज को प्रभावित करता है और इससे सामाजिक के विभिन्न वर्गों के लोग अलग-अलग परिमाण से प्रभावित होते हैं, यह प्रभाव समय और क्षेत्रफल पर निर्भर है। हालांकि, एक ओर भूजल की उपलब्धता में बढ़ोतरी और दूसरी ओर जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देते हुए और इसके साथ ही सतही जल उपयोग को आगे बढ़ाते हुए भूजल गिरावट के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना संभव है।

"पंजाब में भू-जल का घटता स्तर" के संबंध में दिनांक 29.07.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *64 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

जनवरी, 2024 में अवलोकन किए गए कुओं में जल स्तर के गहराई वितरण की प्रतिशतता का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अवलोकित कुओं की सं.	जल स्तर की गहराई दर्शाने वाले कुओं की सं./प्रतिशतता सीमा (एमबीजीएल)											
			0 से 2		2 से 5		5 से 10		10 से 20		20 से 40		> 40	
			सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%
1	आंध्र प्रदेश	812	114	14.0	403	49.6	205	25.2	59	7.3	21	2.6	10	1.2
2	अरुणाचल प्रदेश	29	5	17.2	17	58.6	5	17.2	2	6.9	0	0.0	0	0.0
3	असम	363	92	25.3	205	56.5	52	14.3	9	2.5	4	1.1	1	0.3
4	बिहार	673	38	5.6	392	58.2	229	34.0	14	2.1	0	0.0	0	0.0
5	छत्तीसगढ़	1052	72	6.8	557	52.9	371	35.3	47	4.5	4	0.4	1	0.1
6	गोवा	80	3	3.8	37	46.3	30	37.5	10	12.5	0	0.0	0	0.0
7	गुजरात	826	88	10.7	276	33.4	288	34.9	142	17.2	28	3.4	4	0.5
8	हरियाणा	229	26	11.4	62	27.1	35	15.3	62	27.1	34	14.8	10	4.4
9	हिमाचल प्रदेश	158	24	15.2	51	32.3	31	19.6	34	21.5	13	8.2	5	3.2
10	झारखंड	450	18	4.0	192	42.7	222	49.3	18	4.0	0	0.0	0	0.0
11	कर्नाटक	1298	65	5.0	435	33.5	578	44.5	209	16.1	5	0.4	6	0.5
12	केरल	1316	193	14.7	414	31.5	520	39.5	172	13.1	15	1.1	2	0.2
13	मध्य प्रदेश	1472	109	7.4	505	34.3	636	43.2	199	13.5	16	1.1	7	0.5
14	महाराष्ट्र	1943	202	10.4	793	40.8	695	35.8	222	11.4	26	1.3	5	0.3
15	मणिपुर	4	2	50.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
16	मेघालय	66	27	40.9	35	53.0	4	6.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
17	मिजोरम	2	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
18	नागालैंड	95	20	21.1	42	44.2	22	23.2	10	10.5	1	1.1	0	0.0
19	ओडिशा	1376	222	16.1	859	62.4	286	20.8	9	0.7	0	0.0	0	0.0
20	पंजाब	210	15	7.1	44	21.0	36	17.1	49	23.3	53	25.2	13	6.2
21	राजस्थान	1103	22	2.0	178	16.1	212	19.2	231	20.9	195	17.7	265	24.0
22	तमिलनाडु	772	248	32.1	300	38.9	172	22.3	47	6.1	4	0.5	1	0.1
23	तेलंगाना	302	19	6.3	140	46.4	122	40.4	20	6.6	1	0.3	0	0.0
24	त्रिपुरा	96	24	25.0	56	58.3	15	15.6	1	1.0	0	0.0	0	0.0
25	उत्तर प्रदेश	1090	80	7.3	496	45.5	334	30.6	146	13.4	30	2.8	4	0.4
26	उत्तराखंड	176	11	6.3	50	28.4	36	20.5	35	19.9	30	17.0	14	8.0
27	पश्चिम बंगाल	749	149	19.9	420	56.1	158	21.1	19	2.5	3	0.4	0	0.0
28	चंडीगढ़	9	0	0.0	4	44.4	2	22.2	1	11.1	2	22.2	0	0.0
29	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	36	1	2.8	19	52.8	16	44.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30	दिल्ली	107	4	3.7	28	26.2	38	35.5	18	16.8	11	10.3	8	7.5
31	जम्मू और कश्मीर	303	58	19.1	126	41.6	53	17.5	33	10.9	24	7.9	9	3.0
32	पुडुचेरी	9	7	77.8	1	11.1	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	कुल	17206	1959	11.4	7140	41.5	5404	31.4	1818	10.6	520	3.0	365	2.1

SHRI VIKRAMJIT SINGH SAHNEY: Mr. Chairman, Sir, Punjab contributes 21 per cent rice and 47 per cent of wheat to the central pool. So, it is extracting excess water from the ground to ensure the food security. But, in the process, Punjab is facing acute ground water depletion and deterioration. The hon. Minister may answer कि लेटेस्ट स्टडी, जो सेंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्ड ने की है कि पंजाब में ground water levels are dropping almost to 1,000 feet और पंजाब ऑलरेडी 164 परसेंट ग्राउंड वॉटर एक्सट्रैक्शन कर रहा है, Seventy-two per cent of the Punjab land ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please put your supplementary. ...*(Interruptions)*...

SHRI VIKRAMJIT SINGH SAHNEY: Sir, I want to ask कि अगर ऐसे ही रहा तो tube-wells will go dry. What will happen to national food security ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister. ...*(Interruptions)*...

श्री विक्रमजीत सिंह साहनी: सर, मैं दो बातें पूछना चाहता हूं कि 'अटल भूजल योजना' ..*(व्यवधान)*..

MR. CHAIRMAN: You just put your supplementary, Mr. Sahney. ...*(Interruptions)*...

SHRI VIKRAMJIT SINGH SAHNEY: I am putting question, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You put your supplementary. ...*(Interruptions)*...

SHRI VIKRAMJIT SINGH SAHNEY: Sir, Members are putting questions. But, they are not being answered properly. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I am so sorry. Hon. Minister. ...*(Interruptions)*...

श्री विक्रमजीत सिंह साहनी: महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि 'अटल भूजल योजना' और 'ISBID योजना' में पंजाब को बाहर क्यों रखा गया है? मंत्री महोदय, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए।

MR. CHAIRMAN: Please put pointed question. ...*(Interruptions)*...

SHRI VIKRAMJIT SINGH SAHNEY: Hon. Minister, why has Punjab has been kept out from Atal Bhujal Yojana launch of command area development scheme,

incentivisation scheme, ISBIG? This is a very pointed question. Please give pointed answer, and no preamble. ...*(Interruptions)*...

श्री सी.आर. पाटिल: सभापति महोदय, पंजाब के भूजल संसाधन एवं जल संकटग्रस्त इलाकों को ठीक करने लिए जो "कैच दि रेन" कार्यक्रम है, उसको मंत्रालय द्वारा वहाँ पर सक्रिय किया गया है। पंजाब राज्य के लिए निष्कर्ष स्तर पर भू जल 2017 में 165.7 परसेंट से सुधरकर वर्ष 2023 में 163 परसेंट हो गया है। महोदय, वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में अतिदोहित इकाई स्थिर है, परंतु सुरक्षित भू जल इकाइयों की संरक्षण संख्या 17 से बढ़कर 20 हो गई है। इसमें सुधार हो रहा है, मगर धीरे-धीरे हो रहा है। महोदय, पूरे देश में सबसे बुरी स्थिति पंजाब की है और पंजाब को इसलिए बाहर रखा गया है, क्योंकि उनके नियमों के अधीन ..*(व्यवधान)*.. नहीं आते थे। इसलिए पंजाब को इससे बाहर रखा गया था।

MR. CHAIRMAN: No interruptions, please.

SHRI VIKRAMJIT SINGH SAHNEY: Sir, I submit on the floor of the House with full guarantee ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please put your supplementary. ...*(Interruptions)*... If you have to submit something, you can take recourse to rules. ...*(Interruptions)*...

श्री विक्रमजीत सिंह साहनी: सर, पंजाब ने अटल भूजल योजना की सारी गाइडलाइंस पूरी कर ली हैं। मैं पार्लियामेंट के फ्लोर पर गारंटी से यह स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मंत्री जी इसका जवाब दें।

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी। मंत्री जी, विक्रमजीत सिंह साहनी जी ने गारंटी दी है। ...*(व्यवधान)*...

श्री सी. आर. पाटिल : यह पंजाब राज्य सरकार की जवाबदारी है, यानी पंजाब सरकार की, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, श्री मान जी, उनकी यह जवाबदारी है। ...*(व्यवधान)*...

श्री सभापति: श्रीमान मान ही हैं। ...*(व्यवधान)*... श्रीमान मान। ...*(व्यवधान)*...

श्री सी. आर. पाटिल: श्रीमान मान। ...*(व्यवधान)*...

SHRI RAGHAV CHADHA: Sir, is that the answer? ...*(Interruptions)*..

MR. CHAIRMAN: Mr. Chadha, you can answer when you are a Minister. ...*(Interruptions)*.. Mr. Chadha, hear me. ...*(Interruptions)*... Mr. Chadha, you can

answer only when you are a Minister. The Minister has to answer. Please sit down.
...(Interruptions)...

श्री सी. आर. पाटिल: यह राज्य सरकार का मामला है। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Third supplementary, Shri Digvijaya Singh.

श्री विक्रमजीत सिंह साहनी: सर, मैं आग्रह करूँगा... ...(व्यवधान)... मैं हाथ जोड़ता हूँ।
...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Mr. Sahney, nothing is going on record. ...(Interruptions).. When nothing goes on record, it has no shelf life. ...(Interruptions).. Shri Digvijaya Singh.

श्री दिग्विजय सिंह: माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बधाई देता हूँ, जिन्होंने पंजाब की समस्या के बारे में प्रश्न किया था, लेकिन उतनी ही गंभीर समस्या मध्य प्रदेश की भी है।
...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पर यह प्रश्न पंजाब से है। ...(व्यवधान)... यह प्रश्न पंजाब से संबंधित है। ...(व्यवधान)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, if you see the question, यह स्टेटवाइस है। ...(व्यवधान)... It mentions all the States also. Please see the question, Sir.

MR. CHAIRMAN: Digvijaya Singhji, you have such a huge experience.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: So, this includes Madhya Pradesh also.

MR. CHAIRMAN: Pointedly, put your question.

श्री दिग्विजय सिंह: सर, मैं प्वाइंटेड ही पूछ रहा हूँ। Just give me a chance.

सर, मध्य प्रदेश 60 परसेंट पठार पर है। वहाँ पर भी over exploitation of ground water हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से यह प्वाइंटेड पूछना चाहता हूँ, अब कितना प्वाइंटेड जवाब आएगा, वह आप देखिएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की National Aquifer Mapping हुई है या नहीं और कितनी हुई है? मास्टर प्लान ऑफ आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंडवॉटर की कोई योजना मध्य प्रदेश के लिए मंजूर हुई या नहीं?

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य, दिग्विजय सिंह जी ने प्वाइंटेड सवाल पूछा है और वे प्वाइंटेड जवाब चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री सी. आर. पाटिल: माननीय सभापति, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह मध्य प्रदेश के बारे में है। पर यहाँ पंजाब की बात चली रही थी, फिर भी मैं उनको इतना बताना चाहूँगा कि पंजाब, मध्य प्रदेश सहित देश के कुछ स्थानों पर पानी के अंदर जो नाइट्रेट, आयरन, अर्सेनिक, फ्लोराइड भारी धातु मिल रही हैं, उनका उपचार भी मंत्रालय द्वारा हो रहा है। ...**(व्यवधान)**... उस मिशन के अंतर्गत गुणवत्ता प्रभावित गाँवों के लिए भी अतिरिक्त निधि का प्रावधान, टेक्निकल और वित्त, दोनों ही सहायता मंत्रालय द्वारा हो रही है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, it is a non-pointed answer to a pointed question. I seek your protection. ...**(Interruptions)**..

MR. CHAIRMAN: I hope it is not a point of order.

श्री नीरज शेखर: इतने सीनियर सदस्य हैं, इन्हें पता ही नहीं कि पंजाब पर प्रश्न है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Dr. Sasmit Patra, Supplementary No. 4.

DR. SASMIT PATRA: Sir, my question pertains to Annexure. The hon. Minister in his reply to Annexure has referred to monitoring water wells, which are provided in Annexure, across various States. I am making a generic question; I am not making it State-specific. The Annexure-I clearly suggests that the water levels below the range of 10 MBGL, which is Meters Below Ground Level, show and indicate difficulties in access of groundwater which comes up to about 15 per cent of such wells in this country. So, roughly about 15.7 per cent of monitoring water wells in the country today show, as per Annexure-I of the reply, that they are below 10 meters which indicates difficulty in access of ground water. The Programmes presently being run by the Government look at harnessing, regenerating and groundwater rejuvenation. But would the hon. Minister provide a specific answer as to what is the Government doing to ensure that these 15 per cent monitoring water wells, which are below the level of 10 metres indicating difficulty of access, would be taken care of in a specific manner on the States which are being affected?

श्री सी. आर. पाटिल: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भूजल आकलन की रिपोर्ट के अनुसार 2017 में अति दोहित इकाईयां

1,186 से घटकर 2023 में 736 इकाईयां रह गई हैं, यानी कम हुई है। क्रिटिकल इकाईयां 2017 में 313 थीं, जो कि घटकर 2023 में 199 रह गई हैं। 2017 में सेमी-क्रिटिकल इकाईयां 972 थीं, जो कि घटकर 2023 में 698 हो गई हैं। सुरक्षित इकाईयां 2017 में 4,310 से बढ़कर अब 4,793 हो गई हैं। वार्षिक भूजल पुनर्भरण योजना के अंतर्गत 432 बीसीएम से बढ़कर 2023 में 449 बीसीएम पहुंच गई हैं। मंत्रालय द्वारा भूजल का आकलन और उसको रिचार्ज करते हुए उसका लेवल भी बढ़े, उसकी क्वालिटी भी सुधरे, इसके लिए प्रयत्न हो रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Supplementary No. 5; Shri Satnam Singh Sandhu.

श्री सतनाम सिंह संधू: सभापति जी, मेरा सवाल पंजाब के लोगों की पानी से जुड़ी हुई एक और चिंता को लेकर है। मानसून के आते ही पंजाब में हमारे किसानों, मजदूरों, गरीब लोगों की चिंता बढ़ गई है। लास्ट इयर पंजाब में फ्लड सिचुएशन के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसकी मार पंजाब के 21 डिस्ट्रिक्ट्स पर पड़ी। पंजाब गवर्नमेंट के एक सर्वे के मुताबिक 1,600 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। इसकी दो मेन वजह हैं। हमारी नदियों में एनक्रोचमेंट हो चुकी है, बांधों की रिपेयर समय पर नहीं हुई है और लास्ट इयर उचित कदम नहीं उठाए गए हैं।

MR. CHAIRMAN: Your supplementary.

श्री सतनाम सिंह संधू: हमारे लोगों को चिंता है कि इस बार इसके उचित कदम उठाए जाएं। खास तौर पर चार स्टेट्स के कॉर्डिनेशन के लिए काम किया जाए। पंजाब के साथ हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़ में बेहतर तालमेल हो। इसके साथ एक बड़ी समस्या जो है, वह है भाखड़ा डैम...

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, your question.

श्री सतनाम सिंह संधू: सर, मेरा क्वेश्चन है - भाखड़ा और पोंग डैम में पानी कंट्रोल किया जाता है और पिछले साल फ्लड की वजह से जो डैम बने थे, क्योंकि वहां से पानी का जो निकास है, वह अच्छे तरीके से नहीं हुआ - मेरा क्वेश्चन है कि इस बार इसका प्रबंध अच्छे से हो जाए।

श्री सी. आर. पाटिल: माननीय सदस्य ने जो पूछा है, तो पंजाब के संबंध में जेजेएम, आईएमआईएस का पंजाब द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार आज की तारीख तक कुल मिलाकर 436 बस्तियों में पीने के पानी की व्यवस्था हुई है। रासायनिक संदूषकों से प्रभावित जिलों में 259 आर्सेनिक, 119 फ्लोराइड, 11 नाइट्रेट और 47 भारी धातु प्रभावित बस्तियां उसके अंदर शामिल हैं, जिसमें से सभी आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियां और तीन नाइट्रेट और 36 भारी धातु प्रभावित बस्तियों में पीने और खाना पकाने के प्रयोजन के लिए सामुदायिक जल संशोधन संयंत्र आईएचपी के प्रोग्राम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया गया है और शेष 8 नाइट्रेट और 11 भारी धातु प्रभावित बस्तियों के पास की जेजेएम पाइप जल आपूर्ति योजना और व्यक्तिगत घरेलू शुद्धिकरण संयंत्र आदि के माध्यम से स्वच्छ पानी की आपूर्ति वहां पर की जा रही है। पंजाब

सरकार स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय भी लागू कर रही है, जल गुणवत्ता प्रस्तुति में गतिशील है और राज्य विभाग द्वारा नियमित जांच की जा रही है। जहां भी संदूषित जल पाया जाता है, वहां विभाग द्वारा उनके अनुसार उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि ज्यादातर जो बाढ़ की बात है, यह राज्य सरकार का प्रश्न है।

श्री सभापति: क्वेश्चन नं. 65; डा. सुमेर सिंह सोलंकी।

डा. सुमेर सिंह सोलंकी : सर, क्वेश्चन नं. 65.

श्री सभापति: ऑनरेबल मिनिस्टर।